माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रीगण, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्यपाल, साथी मुख्यमंत्रीगण, देवियों और सज्जनों

राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर विचार करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए है। राष्ट्रीय योजना तथा महत्वपूर्ण समाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विचार विनिमय के अलावे यह सम्मानित संस्था योजना कार्यान्वयन के तौर तरीकों की समीक्षा भी करेगी तथा योजना उद्देश्य को हासिल करने हेतु आवश्यक सुझाव भी अनुशंसित करेगी। इस प्रकार भारत जैसे देश में जहाँ संघीय ढाँचागत विविधता है तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति में भी भिन्नता है, को एकजुट रखने में राष्ट्रीय विकास परिषद की अहम भूमिका है।

इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। दसवीं पंचवर्षीय योजना के समय से ही राज्य योजना के समर्थन में कमी का जो सिलसिला चला वह दुर्भाग्यवश ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है। केन्द्र सरकार के स्तर पर यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि अनेक महत्त्वाकांक्षी लोक लुभावन स्कीम की शुरूआत कर राज्य सरकार की कीमत पर उसका स्वयं श्रेय ले लिया जाए, जिसके कारण इस सेक्टर के आवंटन में कमी कर दी जाती है। इसलिए 11वीं योजना के प्रस्तावित सकल बजटीय समर्थन (जी0बी0एस0) के आवंटन में राज्य के लिए जी0बी0एस0 का प्रतिशत 34 प्रतिशत से घटकर 23 प्रतिशत हो गया है जबकि केन्द्रीय सेक्टर का प्रतिशत 66 से बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया है।

पुनः, राष्ट्रीय विकास परिषद में पूर्व में हुए विचार–विमर्श में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या एवं संसाधनों के आवंटन, दोनों में कमी लाये जाने का समर्थन किया गया था। परंतु हम पाते हैं कि ऐसा करने के बजाय केन्द्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं में विधायी प्रकिया अपनाते हुए बहुविध विस्तार की एक विपरीत प्रवृत्ति बढ़ी है। यह भारतीय संविधान में निहित उद्देश्यों एवं भावना तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के उद्देश्य के विपरीत राज्यों की स्वायत्तता पर बढ़ते जा रहे अतिक्रमण का द्योतक है। हम राज्यों की कीमत पर केन्द्रीय क्षेत्र के लिये सकल बजटीय समर्थन के एक बहुत बड़े भाग को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं।

तेरहवें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा की थी कि सबके लिए एक समान केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या में कमी करने तथा फार्मूला आधारित अन्तरणों को बहाल करने के कदम उठाये जाएं। स्वविवेक के बजाय बने–बनाये फार्मूला पर आधारित निधि के आवंटन का औचित्य स्पष्ट है किन्तु, समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में केन्द्र–राज्य–संबंधों का तंत्र अभी भी अपर्याप्त है। वर्त्तमान संस्थानों की परिकल्पना तब हुई थी जब सभी राज्यों में एक तरह की सरकारें थीं किन्तु मजबूत क्षेत्रीय दलों के उद्‌भव के साथ–साथ गठबंधन सरकारों का दौर जारी रहने के परिप्रेक्ष्य में हमें एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। राज्य सरकारों पर दूरगामी प्रभाव डालनेवाली योजनाओं की घोषणा अक्सरहाँ बिना उनसे परामर्श किये कर दी जाती है। ऐसा बजट में तथा बजट के बाहर दोनों स्थितियों में किया जाता है। साथ ही, इन केन्द्रीय योजनाओं के कियान्वयन हेतु तंत्रात्मक व्यवस्था के उपबंध के अभाव में राज्य के कर्मियों पर उनके कार्यान्वयन का दायित्व होता है जिनपर पहले से ही काफी कार्यबोझ रहता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी बैठकें आनुष्ठानिक तौर पर की जाती है, को निश्चय ही और अधिक उद्देश्यपरक होना चाहिए और हमें सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों से सीख लेनी चाहिए।

यद्यपि हाल के दिनों में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0जे0पी0) में उत्साहजनक प्रगति हुई है, फिर भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम काफी पीछे हैं । सामाजिक प्रक्षेत्र में हमने अति प्रशंसनीय प्रगति की है फिर भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के भी स्तर को छूने के लिये हमें भारी निवेश करने की जरूरत है। अतः निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, खासकर कृषि आधारित उद्योग के क्षेत्र में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना अत्यंत आवश्यक है, एकबार विशेष राज्य का दर्जा जैसे ही प्राप्त होगा, बिहार अपनी जरूरतों का खुद ही ध्यान रख लेगा। मैं राष्ट्रीय विकास परिषद से अर्ज करता हूँ कि इस मांग का समर्थन करे। हमारी प्रगति की गति को मंद करनेवाला दूसरा क्षेत्र उर्जा प्रक्षेत्र है, जिसपर मैं आगे प्रकाश डालूंगा।

जब 11वीं योजना की शुरूआत हुई थी तब देश की अर्थव्यवस्था उछाल पर थी, इसलिए हमने और व्यापक परिप्रेक्ष्य में 9 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर प्राप्त करने की परिकल्पना की थी। यह उल्लेख करते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि वैश्विक मंदी और सुखाड़ के बावजूद, हम 2007–08 में 9 प्रतिशत, 2008–09 में 6.7 प्रतिशत और 2009–10 में 7.4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने में सफल रहे हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में जिस प्रकार भारत 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षी

रणनीति पर चल रहा है उसी प्रकार बिहार भी इसी दिशा में अग्रसर है। बिहार में हम 2007–08 में 8.77 प्रतिशत और 2008–09 में 16.59 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं, यद्यपि हमने 11वीं योजना अवधि में प्रतिवर्ष 8.5 प्रतिशत के विकास दर की परिकल्पना की थी। वर्ष 2004–05 में हमारी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) ₹.8307.00 थी जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर दो गुनी से भी अधिक ₹.16,177.00 हो गई। वर्ष 2004 में हमारी योजना का आकार ₹.3476.00 करोड़ रुपये था जो 2009–10 में बढ़कर चौगुनी से भी अधिक ₹.13987.00 करोड़ हो गई हैं। वर्ष 2010–11 में हमारी योजना का आकार ₹.20,000.00 करोड़ का है। वर्ष 2005–06 में हमारा कर राजस्व ₹.3561.00 करोड़ था जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर ₹.8090.00 करोड़ हो गया हैं। वर्ष 2009–10 में हतोत्साहित करने वाली सुखाड़ के बावजूद भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में 13 प्रतिशत से अधिक की विकास दर प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य हैं।

विगत तीन वर्षों में हमने अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा एवं भीषण बाढ़ झेला है, जिसमें व्यापक पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना का जीर्णोद्धार कार्य अपेक्षित था। उसके अलावे गत वर्ष गंभीर सुखाड़ का सामना करना पड़ा। फिर भी हमने अपना विकास केन्द्रित प्रयास जारी रखा है।

राज्य सरकार ने बेहतर सेवा प्रदान करने तथा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किया है। बिहार पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध किया। सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दूरभाष आधारित '**जानकारी**' कॉल सेन्टर स्कीम प्रारंभ किया गया है। सहकारी संस्थाओं के निर्वाचनों को संचालित करने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार गठित किया गया है। सुशासन के लिए प्रशासनिक और वित्तीय नियमों का सरलीकरण किया गया है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0आई0एम0एस0) प्रारंभ की गई है। पारदर्शिता के लिए ई–टेंडर की शुरूआत की गई है। वर्ष 2005 में हमारी सरकार बनने के बाद से आम लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। गंभीर अपराधों, विशेषकर फिरौती के लिए अपहरण में, बड़े पैमाने पर कमी आने से एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण हुआ है। सरकारी नीतियों के कारण धार्मिक एवं जातीय सौहार्द सुनिश्चित हुआ है। कानून के राज की स्थापना और प्रभावी हस्तक्षेप, यथा त्वरित न्यायिक सुनवाई के कारण कुख्यात अपराधी भूमिगत हो गये हैं तथा शासन का भय व्याप्त है।

यद्यपि सामान्यतः हम 11वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लक्ष्यों और रणनीति का समर्थन करते हैं, फिर भी अनेक विचारणीय क्षेत्र हैं जिन पर प्रकाश डालना चाहेंगे।

पहला, स्थाई कृषि विकास के लिए हमने राज्य–विशिष्ट कृषि रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप में, अन्य बातों के साथ–साथ, अच्छी गुणवत्ता के बीजों की आपूर्त्ति, मिट्टी के पोषक तत्त्वों का आपूरण और कृषि विपणन में सुधार का उपबंध है। 11वीं पंचवर्षीय के प्रथम तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हुई है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी. पी.) में कृषि और कृषि आधारित क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर 2005–06 में ₹.19291.95 करोड़ था वह 2008–09 में बढ़कर ₹.26846.51 करोड़ हो गया, यद्यपि कृषि और कृषि आधारित क्षेत्र के योगदान में एकान्तर वर्ष का उतार–चढ़ाव जारी रहता है, इसका मुख्य कारण आम की फसल का एक वर्ष बीच कर लगना है और यह महत्त्वपूर्ण फल उद्यान राज्य के संपूर्ण फल उद्यान क्षेत्र के लगभग आधे क्षेत्र में है। और भी खुशी की बात तो यह है कि खाद्यान्न का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। 2005–06 में 85.49 लाख मी0 टन के साधारण स्तर से बढ़कर वर्ष 2008–09 के दौरान 122.20 लाख मी0 टन तक पहुंच गया है। वर्ष 2009 के पिछले खरीफ मौसम के दौरान 38 में से 26 जिले सुखाड़ प्रभावित थे, फिर भी खाद्यान्न के उत्पादन में केवल आंशिक कमी हुई और यह 120.86 लाख मी0 टन रहा, जो यह दर्शाता है कि राज्य में कृषि का अच्छा समुत्थान हुआ है।

11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कृषि पर योजना व्यय में यथेष्ट वृद्धि हुई है। कृषि विकास के लिए योजना उद्व्यय वर्ष 2005–06 में ₹. 20.43 करोड़ था जो वर्ष 2010–11 के दौरान बढ़कर ₹. 734.42 करोड़ हो गया।

11वीं योजना की रणनीति के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए बेहतर प्रौद्योगिकी और बेहतर कार्य प्रणाली पर विशेष बल दिया गया है:–

1. हर दो पंचायतों के लिए विषय–विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है और राज्य में विस्तार वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

2. विगत चार वर्षों में सबौर, भागलपुर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय और तीन नये कृषि महाविद्यालय और एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना से कृषि शोध और शिक्षा को मजबूती प्रदान की गई है। कृषि शोध और शिक्षा पर व्यय 2005–06 के

दौरान ₹. 52.20 करोड़ था जो 2009–10 के दौरान बढ़कर ₹. 121.31 करोड़ हो गया है।

3. राज्य में कृषि विकास के व्यापक संभावनाओं को देखते हुए, योजना आयोग राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने पर सहमत हो गया है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रारूप विधेयक और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को भेज दिया गया है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

4. दक्षिण एशिया के लिए बोरलाग संस्थान नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देश में स्थापित किया जाना है। हाल ही में, एक केन्द्रीय दल ने उक्त संस्थान के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए बिहार का दौरा किया था। संस्थान के मुख्य विषय अर्थात जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इसकी स्थापना के लिए पूसा उपयुक्त स्थल होगा। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बोरलॉग पूसा आये थे। बोरलॉग की स्मृति में यह संस्थान पूसा में स्थापित किया जाना उनके प्रति सही सम्मान होगा।

राज्य बीज निगम, राज्य बीज गुणन फार्म और विश्वविद्यालय तथा कृषि विकास केन्द्र फार्मो को सुदढ़ किये जाने से आधार/प्रमाणित बीज के उत्पादन और उपयोग में आशातीत सुधार हुआ है। धान और गेहूँ के लिए बीज प्रतिस्थापन दर, जो 2005–06 में लगभग 10% था, वह 2009–10 में बढ़कर 25% हो गया है। **'मुख्यमंत्री क्रैस बीज कार्यक्रम'** और **'बीज ग्राम'** कार्यक्रमों' जैसे अनेक नये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चलाये गये है। मुख्यमंत्री क्रैस बीज कार्यक्रम की सराहना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है।

हाल के वर्षों में उर्वरकों की खपत में कुल मात्रा और इसके संतुलित उपयोग दोनों दृष्टियों से सुधार हुआ है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 2005–06 में 119.8 किलोग्राम थी, जो 2009–10 में बढ़कर 175 किलोग्राम हो गई है। नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटॉसियम का अनुपात 2005–06 के दौरान 7:1.3:1 था, जो 2009–10 के दौरान बढ़कर 8:2:1 हो गया है।

ग्यारहवीं योजना के कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि फसल प्रक्षेत्र में विकास की अभिवृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिएः–

1. कृषि प्रक्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिंचाई हेतु डीजल में अनुदान को नियमित कार्यक्रम के रूप में लिया जाए, खासकर रबी फसलों और ईख की सिंचाई के लिए।

2. धान और मक्का के लिए हाइब्रीड बीजों की उपलब्धता बढ़नी चाहिए। इसमें जन समर्थन से निजी बीज उद्योग को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु अनुवांशिक तौर पर उपान्तरित फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका अनुमोदन किए जाने के पूर्व कड़े मूल्यांकन से गुजरना होगा और राज्यों से परामर्श करना होगा।

3. कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए उपयुक्त फॉर्म यांत्रिकीकरण करना महत्वपूर्ण हे। इसके लिए किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देनी होगी।

4. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में निवेश में यथेष्ट वृद्धि करना अनिवार्य है। जलवायु परिवर्त्तन और फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी जैसे मामलों में काफी अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइ.सी.ए.आर.) की प्रणाली के अलावे, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी पर्याप्त निधि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

राज्य में कृषि विपणन में सुधार लाने में बिहार औरों से एक कदम आगे है। जहाँ अनेक राज्यों में अभी भी आदर्श अधिनियम/नियमावली लागू किया जाना है, वहाँ बिहार ने पूर्व के कृषि उत्पादन बाजार समिति (ए पी एम सी) अधिनियम को निरस्त कर, कृषि वस्तुओं के आधुनिक विपणन के प्रोत्साहन में आनेवाली हर बाधा को दूर कर लिया है। अब कृषि हेतु बाजार की आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक खास योजना/निधि की आवश्यकता है, खास कर बिहार जैसे राज्यों के लिए जहां यह बहुत खराब स्थिति में है।

2007–08 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की है, जिससे देश में कृषि विकास के लिए केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का दायरा बढ़ गया है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुभव यह रहा है कि हस्तक्षेप के चयन में, इसके लागत मानदण्डों और आर्थिक सहायता के स्तरों के निर्धारण में राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अभी हरेक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के लिए राज्यों द्वारा पृथक–पृथक कार्य योजना बनाई जाती है और उसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया

जाता है। इससे प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी बहुमूल्य समय लग जाता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन निधि आवंटन के मानदंड पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। खाद्यानों की उपज और आयोग द्वारा प्रस्तावित विकास दरों के बीच जो अन्तर है उससे देश में खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को बल मिलेगा।

खाद्यानों का भंडारण एक मुख्य मुद्दा है जिसपर तुरत ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी देश में भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि का कोई व्यवहार्य कार्यक्रम नहीं है। राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई ग्रामीण भंडारण योजना में अधिक निवेश नहीं हुआ है। भारतीय खाद्य निगम ने न तो राज्य में पर्याप्त भंडारण क्षमता सृजित की है और न यह गारंटी स्कीम के अधीन इतना किराया देता है कि इस प्रमुख क्षेत्र में पर्याप्त निवेश आकर्षित हो सके।

दूसरा, सब मानते हैं कि किसी सुनियोजित विकास रणनीति का चरम उद्देश्य गरीबी उन्मूलन होता है, न केवल प्रति व्यक्ति खपत स्तर की दृष्टि से, बल्कि मानव जीवन को गरिमा प्रदान करनेवाली स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का स्तर हासिल करने की दृष्टि से भी। योजना आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित गरीबी के आँकड़ों बिहार जैसे राज्य सरकारों द्वारा कराए गए पारिवारिक आकलनों से व्यापक तौर पर भिन्न हैं। आयोग के द्वारा अनुमोदित आँकड़ों का उपयोग हकदारिता के निर्धारण में किया जाना बहुत त्रुटिपूर्ण था। यह उल्लेख करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि तेंदुलकर समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित गरीबी आँकड़ों को योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है और गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों को चिन्हित करने की अपेक्षा राज्य सरकारों से की जाती है। चिन्हित करने की यह प्रकिया काफी जटिल है और इसमें काफी विवाद उत्पन्न होता है। राज्य सरकार महसूस करती है कि भारत सरकार द्वारा अवधारित मानदंड पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों को चिन्हित करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाना चाहिए।

तीसरा, मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में अत्यावश्यक न्यूनतम रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई है। मनरेगा अधीन निधि विमुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया इतनी अच्छी नहीं है कि हमारी वचनबद्धता के अनुरूप ग्रामीण भारत के लोगों को मांग करने पर सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। चूँकि सौ दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने की अपेक्षा राज्यों से है, इसलिए वांछनीय है कि

राज्य के श्रम बजट में अनुमोदित राशि वर्ष के शुरूआत में ही एक मुश्त विमुक्त कर दी जाए। यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि कार्य करने का मौसम अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग होता है और जिन राज्यों में मनरेगा की सर्वाधिक आवश्यकता है वहां (वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंको तथा डाकघरों) बैंकिंग आधारभूत संरचना सर्वाधिक दयनीय है। यदि वर्ष के शुरूआत में ही पंचायती राज संस्थाओं को निधि उपलबध करा दी जाए, और प्रायोगिक तौर पर शुरूआत में उच्च स्तरीय गरीबी और प्रव्रजन वाले फोकस राज्यों से ही शुरूआत की जाए तो, रोजगार मुहैय्या कराने में कोई बाधा नही होगी और परिसम्पतियों के सृजन में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाएगी। इस महंगाई के दौर में दैनिक मजदूरी के दर में अप्रत्याशित वृद्धि होने के बाद भी इस महत्वपूर्ण योजना में केन्द्र सरकार मजदूरी के रूप में मात्र 100 रू0 वहन करती है तथा बढ़ी हुई राशि को राज्य सरकारों पर थोप देती है।

चौथा, राज्य में शिक्षा में सुधार लाने के लिए राज्य में बहुत से कदम उठाये गये हैं। राज्य सरकार कक्षा 3 से 5 तक के सभी लड़कों और लड़कियों को और कक्षा 6 से 8 तक के सभी लड़कियों को निःशुल्क पोशाक दे रही है। इस कोटि के अन्तर्गत दो करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए हैं। 25 लाख से अधिक लड़के–लड़कियों को साइकिल की खरीद के लिए प्रत्येक को ₹. 2000.00 की दर से दिया गया है। ''हुनर और औजार'' नामक दक्षता उन्नयन योजना से 38000 मुस्लिम तथा 25000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग की लड़कियां लाभान्वित हुई है। 70000 लड़कियों ने जुडो/कराटे सीखा है। मैट्रीक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होनेवाली सभी लड़कियों को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में हरेक को ₹. 10000.00 दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना के तहत 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों का नामांकन कराने के लिए 18457 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं और 14675 प्राथमिक विद्यालयों को अपर प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। 215145 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जिनमें से 55 प्रतिशत महिला शिक्षिकाएँ हैं। फलस्वरूप छात्र–शिक्षक अनुपात घटकर 58:1 हो गया है और शिक्षकों की नियुक्ति प्रकियाधीन है जिससे यह अनुपात 40:1 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में आधारभूत संरचना सुधारने के लिए एक लाख कक्षाओं का निर्माण किया गया है और 25000 कक्षाएं निर्माणाधीन है। 'तालिमी मरकज' खोलकर मुसलमान बच्चों के लिए तथा 'उत्थान केन्द्र' खोलकर महादलित बच्चों के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल किया है, जो उपयुक्त सेतु पाठ्यक्रम के साथ तैयारी कराने वाले केन्द्र हैं। शिक्षा पर राज्य पहले से ही

₹. 7500.00 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के कार्यान्वयन करने के लिए इस वर्ष ₹. 25000.00 करोड़ से अधिक की आवश्यकता होगी। वांछनीय होगा कि इस व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे और राज्य सरकार का योगदान 10 प्रतिशत हो।

यद्यपि राज्य में 57000 प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों की संख्या मात्र 3000 है। हमने अनुदान देकर लगभग 600 निजी विद्यालयों को जोड़ लिया है। हरेक प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। हमारा अनुरोध होगा कि अपर प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति के अलावे नए माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति उदारतापूर्वक दी जाए। हमने अपनी राज्य निधि से अपने सभी माध्यमिक विद्यालयों को +2 स्तर तक उत्क्रमित कर दिया है, उनके सुदृढीकरण के लिए हमे सहयोग की अपेक्षा होगी। इसी संदर्भ में हम नए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का भी स्वागत करते हैं। हमने इस स्कीम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पृथक् सोसाइटी की स्थापना भी कर दी है।

उच्च विकास दर प्राप्त करने में उच्चतर शिक्षा के महत्व के प्रति हम सचेष्ट रहे हैं। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए पहले ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कर ली है। इसके अतिरिक्त चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना भी स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 500 एकड़ जमीन भी अर्जित की है। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया है और संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाने वाला है।

पांचवां, दक्षता विकास के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में हमने राज्य योजना के अधीन 23 नए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है, जिनमें से चार महिलाओं के लिए है। हमने शेष सभी जिलों में ऐसे संस्थान तथा शेष सभी राजस्व प्रमंडलों में महिला संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। हमने सभी विद्यालयों में छात्रों की कंप्यूटर साक्षरता और अंग्रेजी के ज्ञानवर्धन की पहल की है। इसके अतिरिक्त अपनी निधि से, विश्व बैंक की निधि से तथा भारत सरकार की सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) स्कीम के तहत 21 वर्तमान आई.टी.आई को उत्क्रमित करने का काम शुरू किया है । हमने नए संस्थानों को खोलने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और निजी क्षेत्र में 250 से अधिक आई.टी.आई. खोले गए हैं। तेजी से बढ़ते बाजार में मांग को पूरा करने

के लिए कुशल मानव शक्ति का विशाल पूल बनाने के दृष्टिकोण से दक्षता विकास की योजना बनाने, आयोजन एवं अनुश्रवण हेतु हमने बिहार शिल्प (स्किल) विकास मिशन की भी स्थापना की है। मैं माननीय प्रधान मंत्री की जानकारी में लाना चाहूंगा कि सार्वजनिक–निजी भागीदारी में अनाच्छादित प्रखंडों और पंचायतों में 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 50000 शिल्प विकास केन्द्र खोलने की आपकी घोषणा के अनुकूल हमने श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की इच्छानुसार ऐसे 205 संस्थानों तथा 2100 से अधिक केन्द्रों को खोलने के लिए भूमि चिहिन्त कर लिया है और अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि इस विषय में तत्परतापूर्वक निर्णय लिया जाए और संस्थानों तथा शिल्प विकास केन्दों की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र की जाए।

छठा, बिहार के स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में एक सुखद एवं सार्थक परिवर्तन होता दीख रहा है। राज्य की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलबध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने उस स्तर से शुरूआत की थी जब कोई भी व्यक्ति प्रखंड स्तर पर अवस्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में नही जाता था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक औसत उपस्थिति मात्र 39 से बढ़कर 5000 हो गई है, जो प्रतीक है लोगों में जगे इस विश्वास का, कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य समर्थ है। संपूर्ण राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है। चिकित्सकों, औषधियों और प्रोत्साहनों पर विशेष ध्यान रखते हुए, 480 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाएँ 24x7 के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

हम मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) और शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर) को घटा कर शीघ्र राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए संकल्पित हैं। माता और शिशु की देखभाल पर हमारा विशेष ध्यान है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वर्ष 2010 को ''नवजात वर्ष'' घोषित किया है। नवजातों और माताओं की देखभाल के लिए विशेष सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। राज्य में सांस्थिक प्रसव (इंस्टीच्यूशनल डेलिवरीज) जो 2005–06 में 45000 थी वह 2009–10 में बढ़कर 12.46 लाख हो गई है। रूटीन प्रतिरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए 'मुस्कान एक अभियान' नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके उत्साहवर्द्धक परिणाम मिले हैं और पिछले सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार रूटीन प्रतिरक्षण का दायरा 11% से बढ़कर 54% हो गया है और यह प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवओं को लोगों के नजदीक लाने के लिए 76642 आशा कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं और माताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य ने ममता कार्यकर्त्ता नियुक्त करने की अपनी योजना शुरू की है, जिन्हें जनन परिचारी के रूप में प्रशिक्षित किया

जा रहा है; खासकर अस्पताल में आनेवालों तथा घर में ही देखभाल की अपेक्षा रखनेवालों को सहारा देने के लिए।

राज्य औषधियों और अन्य सुविधाओं पर अपने व्यय में सतत वृद्धि कर रहा है, अस्पतालों में हमारे मरीजों को मुफ्त रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पिछड़े इलाके में पहुंचने के लिए चलंत चिकित्सा इकाई की सेवा शुरू की गयी है और यह सुविधा 24 जिलों में उपलब्ध हो गई है । जल्द ही यह सुविधा राज्य के सभी 38 जिलों में उपलब्ध हो जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा हमारी चिन्ता का विषय रहा है। चिकित्सा महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना तथा सुविधाओं में सुधार का प्रयास राज्य द्वारा किया गया है, किन्तु इस क्षेत्र में हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है और निश्चय ही इसके लिए राज्य और केन्द्र सरकार, दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। राज्य में चिकित्सकों और पैरा चिकित्सकों की भारी कमी है तथा हमारे मानव संसाधन के संवर्धन के लिए हमें केन्द्र सरकार के साथ मिलकर रास्ता एवं उपाय निकालना पड़ेगा ताकि अंतिम आदमी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। हमने नैदानिक सुविधाओं तथा आकस्मिक सेवाओं यथा एम्बुलेंस आदि, का विस्तार के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी का मॉडल अपनाया है ताकि न केवल ग्रामीणों को बल्कि शहरी लोगों को भी सुविधा प्राप्त हो। यह कहते हुए निश्चय ही मुझे थोड़ा संतोष है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और हम इस राज्य के लोगों में विश्वास जगाने में समर्थ रहे हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना'' लागू की जा रही है।

सातवां, विकास को और अधिक समावेशी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक उपाय किया है; समेकित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) के अधीन 80797 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं और लगभग 65 लाख बच्चों को पूरक आहार और विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य में गरीब बच्चों की एक बड़ी तादाद समुचित वस्त्र के अभाव में रह रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2010–11 आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले तीन से छः आयु वर्ग के 37 लाख बच्चों को वस्त्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। समेकित बाल विकास योजना केन्द्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु यदि केन्द्र से निधि प्राप्त होती है तो भवन बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों में आबंटन बढ़ाना भी वांछनीय होगा। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अधीन लाभार्थी के रूप में योग्य होने के लिए निःशक्तता की सीमा 80% है। इसे घटाकर 40% तक

लाया जाए। वृद्ध व्यक्तियों के समेकित कार्यक्रम का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है तथा फोकस वृद्धाश्रम पर हो और जराचिकित्सा के प्रशिक्षण और शोध के लिए अधिक निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए। चरणबद्ध विस्तार की जगह बेहतर होगा कि हरेक जिला के लिए जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र की स्वीकृति दी जाय। गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए निधि प्रदान करने की सीमा का पुनरीक्षण नहीं होता इसीलिए ये बाजार दरों से मेल नहीं खाती। दरों के आवधिक पुनरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और हम दर सूची जैसी किसी युक्ति पर विचार कर सकते हैं जैसा कि विनिर्माण कार्यों के मामले में वर्ष में कम–से–कम दो बार किया जाता है।

आठवाँ, त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्त्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 56465 टोलों को पहली बार पेयजल का सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराया गया है। फ्लोराईड और आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्रों को तेजी से आच्छादित करने के लिए सुझाव है कि केन्द्र सरकार इसमें शतप्रतिशत राशि आवंटित करें। राज्य में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का दायरा बढ़ाया गया है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे (बी0 पी0 एल0) के हरेक परिवार को घर में शौचालय उपलब्ध कराने के अलावा राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से इस सुविधा का विस्तार गरीबी रेखा से ऊपर (ए0 पी0 एल0) के परिवारों के लिए भी किया है।

वर्ष 2007–08 से यद्यपि हमने इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 23 लाख परिवारों को सुविधा मुहैया कराई है लेकिन हम और अधिक करना चाहते हैं। किन्तु, अधिक करने की हमारी क्षमता सीमित कर दी गई है क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने ही टास्क फोर्स की उस अनुशंसा को स्वीकार करने में असमर्थ रहा है जिसमें कहा गया है कि सामाजिक लामबन्दी, प्रौद्योगिकी सहयोग और अभिलेख के रख–रखाव के लिए आवंटन का 3% खर्च किया जा सकता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में कोसी बाढ़ आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण के लिए विशेष पहल की है।

नौंवा, राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट लक्ष्यांकित योजनाओं को पूर्णरूपेण लागू किया है। मैट्रिक पूर्व की पढ़ाई के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के 2381905 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए इन वर्गों को प्रात्साहित करने के क्रम में राज्य सरकार ने इस वर्ग के 400 छात्रों को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से कुछ छात्रों को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व, उत्तर एवं योग्यता–सह–आय छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त राज्य

सरकार ने उन छात्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है जो बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं।

हमने देखा है कि अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान रहने के बावजूद, कतिपय अनुसूचित जातियाँ पिछड़ गई हैं। इसीलिए, राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों में वंचित समूहों को घर, पेयजल, स्वच्छता और सम्पर्क साधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष स्कीमों की शुरूआत की है। इसके लिए हमने बिहार महादलित विकास मिशन प्रारंभ किया है।

बिहार में ''थारू'' अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है। चूंकि, वे नये अधिसूचित समूह हैं, इसलिए वर्त्तमान स्कीमों के अधीन उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार ने ''समेकित थारू क्षेत्र विकास प्राधिकार'' नामक एक निबंधित सोसाइटी के माध्यम से थारू जनजाति के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। हरेक ग्राम पंचायत को उपयुक्त कार्यालय भवन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग पंचायत स्तर के सभी अधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सके। सुझाव है कि बी0आर0जी0एफ0 अन्तर्गत आवंटन बढ़ाया जाय ताकि ऐसे पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रारंभ किया जा सके।

दसवाँ, मैं भी सहमत हूँ कि पिछड़ा क्षेत्र विकास सहित संतुलित क्षेत्रीय विकास की अनदेखी से परिणाम गम्भीर हो सकते हैं और देश के कुछ हिस्सों में वाम पंथ उग्रवाद के अभ्युदय के मुख्य कारणों में यह भी एक कारण है। उग्रवाद प्रभावित 8 जिलों के 65 पंचायतों में विकासात्मक प्रयास के अभिमुखीकरण के लिए हमने पहले ही योजना शुरू कर दी है। ''आपकी सरकार आपके द्वार'' नामक यह योजना न केवल प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि इसका लक्ष्य विशेषकर संपत्ति अधिकार एवं मानव गरिमा से संबंधित लोक शिकायतों एवं विवादों में कमी लाना तथा शासन में सुधार लाना भी है। योजना आयोग के अनुरोध के अनुसार राज्य में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित छः चिन्हित जिलों के लिए समेकित योजना जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई है। इस संदर्भ में हमारा सुझाव होगा कि भारत सरकार हरेक उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारी कार्यालय में अभिमुखीकरण सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना करने पर विचार करे जिसका संचालन उच्च क्षमता वाले विशेषज्ञ करें। इस राज्य में 33 जिला उग्रवाद प्रभावित है, अतः इन सभी जिलों को इस योजना के अंतर्गत अच्छादित करने की आवश्यकता है।

ग्यारहवाँ, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आधारभूत संरचना का संतुलित विकास आवश्यक है। शहरी आधारभूत संरचना और सेवाओं के विकास की गति बढ़ती हुई शहरी आबादी से मेल नहीं खाती, फलस्वरूप अनौपचारिक सेक्टर के रूप में गंदी बस्तियों की बढ़ती संख्या के लगातार विस्तार से शहरी विस्तार विस्फोटक रूप धारण कर लेता है और इस स्थिति से निबटने में हम समग्रतः असमर्थ हो जाते हैं।

बिहार को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) से निधि प्राप्त हुई है लेकिन यह मिशन मात्र दो शहरों, पटना और बोधगया तक ही सीमित है। श्रेणी 1 के सभी शहरों में शहरी आबादी की अधिक सघनता को ध्यान में रखते हुए शहरों में मूलभूत सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए यू0आईडी0एस0एस0एम0टी0 का विस्तार उन शहरों तक करने की आवश्यकता है जिन्हें इस प्रयोजनार्थ अबतक सीमित निधि प्राप्त है। बिहार शहरी विकास के साथ सुधार को जोड़ने की आवश्यकता महसूस करता है ओर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत प्रस्तुत एजेंडा का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने सुधार के एजेंडा के अनेक घटकों में प्रगति की है जिसमें शहरी स्वच्छता रणनीति प्रारूप तैयार करना नगरपालिकाओं और सेवा स्तरीय बेंचमार्किंग में इ–गवर्नेन्स के लिए राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना की तर्ज पर इ–गवर्नेन्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। किन्तु, शहरी विकास एजेंडा में गति लाने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता देने और गया को उसके आकार और पर्यटन एवं धार्मिक स्थान के रूप में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, जे.एन.एन.यू.आर.एम नगर के रूप में शामिल करने की अनुशंसा करती है।

शहरी गरीबी से निजात पाने तथा दोषपूर्णता कम करने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। प्रथम चरण में सभी नगर निगमों में श्रेणी 1 शहर में गंदी बस्तियों को चिन्हित करने और उनका मानचित्र बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। समग्र स्लम विकास और 'स्लम मुक्त' शहर बनाने की दिशा में तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार ने राजीव आवास योजना की तर्ज पर एक योजना बनाई है। राज्य द्वारा निराश्रितों का सर्वेक्षण कार्य भी प्रारंभ किया गया है तथा प्रारंभिक तौर पर 8 शहरों को निधि आवंटित की गयी है। सरकार ने शहरी गरीबी में कमी लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है जिसके अंतर्गत आजीविका पर समान रूप से ध्यान केन्द्रित करना शामिल है ताकि दीर्घकालीन हल का खाका तैयार कर उसका कार्यान्वयन किया जा सके। शहरी गरीबी की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, राजीव आवास योजना के पहले चरण में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को शामिल करने तथा आजीविका एवं

संपोषणीयता संबंधी योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है।

एक लाख की आबादी पर 256.70 कि0मी0 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में एक लाख की आबादी पर मात्र 90.10 कि0मी0 सड़के हैं। यद्यपि, राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सड़क के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश बढ़ाया है, लेकिन राष्ट्रीय औसत तक आने के लिए हमें पथ प्रक्षेत्र में और निवेश बढ़ाना होगा। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अधीन 1500 करोड़ रुपये के लागत से गंगा नदी पर 4–लेन वाले 5.55 कि0मी0 का वृहत सेतु के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है, जो पटना जिले के बख्तियारपुर को समस्तीपुर जिले के ताजपुर से जोड़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथों के लगभग 2935 कि0मी0 का रखरखाव किया जाता है, किन्तु रखरखाव से संबंधित स्कीम की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। इन सड़कों के रखरखाव के लिए अपर्याप्त निधि दी जाती रही है। उदाहरणार्थ, इन सड़कों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने लगभग 969.76 करोड़ रूपये खर्च किया है। खर्च की गई राशि की भरपाई के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय मंत्री भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय उच्च पथ से मुलाकात की, किन्तु राज्य सरकार को अबतक राशि प्राप्त नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अधीन भारत सरकार ने 19000 कि0मी0 सड़कों के निर्माण हेतु 8645 करोड़ रू0 स्वीकृत किये हैं। लेकिन, अब तक सिर्फ 1768.56 करोड़ रू0 ही विमुक्त किये गये हैं। इससे निर्माण कार्य की प्रगति बाधित हुई है। अनुरोध है कि कार्य की प्रगति को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन 1000 करोड़ रू0 की राशि अविलंब विमुक्त की जाय तथा जून 2011 तक प्रति माह 500 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की जाय ताकि स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

बिजली की कमी तथा इसकी अविश्वसनीय गुणवत्ता हमारी बड़ी कमजोरी रही है। हमारा प्रति व्यक्ति वार्षिक उर्जा खपत राष्ट्रीय औसत 717 किलो वाट घंटा की तुलना में 101 किलो वाट घंटा है । राज्य में विद्युतिकृत ग्रामों का प्रतिशत भी काफी कम है । बिहार में विद्युत उत्पादन की हमारी क्षमता लगभग नगन्य है तथा इसके लिए हम पूर्णतः केन्द्रीय आबंटन पर निर्भर है। मेरी सरकार ने अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाये हैं, लेकिन वास्तविक उत्पादन प्रारंभ होने में तीन–चार वर्ष लग ही जाएंगे।

एन0टी0पी0सी0, पटना जिले के बाढ़ में एक सुपर थर्मल पावर परियोजना लगा रहा है। वांछनीय होगा कि परियोजना के फेज I तथा II में उत्पादित विद्युत का कम से कम 40 प्रतिशत बिहार को आबंटित किया जाय।

पिछले 25 वर्षों में बिहार में कोई नया थर्मल पॉवर स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत देश में निम्नतम है। वर्तमान में राज्य में गंगा जल का उपयोग बहुत कम हो रहा है। इसके बावजूद राज्य में कुल मिलाकर लगभग 30–35 क्यूसेक गंगा जल के उपयोग के साथ थर्मल पावर स्टेशन लगाने से संबंधित कुछ प्रस्तावों पर भी जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपत्ति की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जहॉ 75% से अधिक गंगा के जलग्रहण वाले उपरी राज्यों द्वारा सूखे मौसम मे मात्र 400 क्यूसेक जल बिहार में प्राप्त होता है वहीं बिहार में गंगा की अनेक सहायक नदियों द्वारा 1200 क्यूसेक जल प्रवाहित किये जाने की बाध्यता है । यह बिहार की विडम्बना है कि उसे लगभग हर साल बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ता है, परंतु उर्जा परियोजनाओं में बाढ़ के उसी जल के उपयोग से बंचित किया जाता है। मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें ताकि बिहार की थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए गंगा जल के उपयोग की सहमति दी जा सके।

राज्य सरकार ने नवादा जिले के रजौली में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की पहल की है। भारतीय आणविक विद्युत निगम द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाना है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 2009–10 तक 13756 गाँवों के विद्युतीकरण के लिए सहायक आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है। किन्तु, इस स्कीम के डिजाइन में अन्तर्निहित कमियाँ है जिससे बिहार जैसे ऊर्जा और आधारभूत संरचना विहीन राज्य के लिए यह मात्र प्रतीकात्मक महत्व का ही हो जाता है। उदाहरण स्वरूप राज्य के 6 उग्रवाद प्रभावित जिलों में लगाये गए ट्रांसफार्मर एक वर्ष के अंदर अपने वारंटी अवधि में ही जल गए । इस योजना के तहत तीन फेज लाईन की सुविधा उपलब्ध कराने का मसला राज्य सरकार ने कई बार उठाया है लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नही लिया जा सका है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बरौनी थर्मल पावर प्लांट में 2x250 मेगावाट की वृद्धि कर उसकी क्षमता का विस्तार कर रहा है। हमने तीन स्थलों का यथा (1) 2x660 मेगावाट थर्मल पॉवर परियोजना, चौसा, जिला–बक्सर, (2) 2x660 मेगावाट थर्मल पॉवर परियोजना, कजरा, जिला–लखीसराय, (3) 2x660 मेगावाट थर्मल पॉवर परियोजना, पीरपैंती, जिला–भागलपुर का विकास करने के लिए बिहार पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी नामक कंपनी भी स्थापित की है।

किन्तु, कोयला तथा जल संयोजन (लिंकेज) की अनुपलब्धता इन परियोजनाओं के विकास में बड़ी बाधा रही है।

उक्त परियोजनाओं के लिए जल की व्यवस्था जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा की गयी है। सम्बद्ध जिला पदाधिकारियों ने इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है। बिहार सरकार द्वारा भूमि तथा जल की उपलब्धता से संबंधित कागजात ऊर्जा मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं।

बिहार में वृहत् एवं मध्यम सिंचाई योजनओं से 53.53 लाख हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता में से वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंत तक 28.80 लाख की सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। शेष 24.73 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास किया जाना है। मोटे आकलन के अनुसार इसके लिए 60000–70000 करोड़ रुपये के निवेश की अपेक्षा होगी।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) के अधीन वर्तमान मानदंड अनुसार नई स्कीम शामिल करने के पूर्व पहले की स्कीम को पूरा कर लेना है जिसके कारण स्कीम का पूरा लाभ उठाने से बिहार बंचित हो रहा है। राज्य सरकार ने इस आशय की मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है। हम ए0आई0बी0पी0 में एक पूर्व योजना के पूरा होने पर कोई नयी योजना के शामिल किये जाने के वर्तमान मानदंड को कम–से–कम बाढ़ प्रवण इलाके के लिए शिथिल किये जाने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे है।

उत्तर बिहार के अतिरेक मॉनसून जल को दक्षिण बिहार में ले जाना राज्य के सिंचाई जल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यावश्यक है। वर्तमान में अन्तर्राज्यीय नदियों को जोड़ने की योजना का डी0पी0आर0 बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य जारी है। केन्द्र सरकार इन योजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने की कृपा करे ताकि उनका शीघ्र निष्पादन हो सके।

कई योजनाएँ पर्यावरण एवं वन पहलुओं के कारण अनिश्चितता की स्थिति में हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार के पुनर्गठन के बाद राज्य में जलाशयों की संख्या नगण्य रह गयी है। हमारी आशा है कि बिहार को विशेष मामला मानते हुए, केन्द्र सरकार राज्य के सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन मानकों को उसी प्रकार शिथिल करने पर विचार करे जैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं के मामले में होता है।

राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 73% भाग बाढ़ प्रभावित है जब कि राष्ट्रीय आंकड़ा 17% है। बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन उपाय के रूप में अभिज्ञात सभी

जलाशय स्थल नेपाल में स्थित हैं और उनका अंतरराष्ट्रीय आयाम होने के कारण इसे हकीकत में परिणत करना बहुत समय साध्य होगा। बाढ़ प्रबंधन के अल्पकालीन उपाय के रूप में बड़ी नदियों के तटों पर बाढ़रोधी तटबंध का निर्माण करना ही अभी एक मात्र रास्ता है। राज्य में कुल मिलाकर लगभग 3600 कि0मी0 बाढ़रोधी तटबंध है और राज्य सरकार बिना तटबंध वाली नदियों पर भी तटबंध बनवाने की मंशा रखती है। वर्तमान में केन्द्रीय सहायता प्राप्त ''बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम'' के अधीन मात्र तटबंधों की ऊँचाई बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने तथा क्षरणरोधी कार्यों को ही हाथ में लिया जाता है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन नये तटबंधों के निर्माण योजनाओं को पर्याप्त संख्या में शामिल किए जाने की केन्द्र सरकार से अपेक्षा है।

मैं कुछ व्यापक महत्त्व के मुद्दों का उल्लेख करना चाहूँगा। राज्य को जमीनी हकीकतों तथा स्थानीय जरूरतों को पूरा करनेवाले विषयों की वास्तविक सूचना संप्रेषित करने का अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। खासकर केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित होनेवाली परियोजनाओं का अनुश्रवण स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराये जाने पर, भावी लाभार्थियों के लिए उसकी विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

मैं केन्द्र–राज्य–संबंधों से संबंधित एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर भी अपने विचार दर्ज कराना चाहता हूँ। हमारे जैसे स्थापित संघीय ढ़ाँचे में यह शोभा नहीं देता कि केन्द्रीय मंत्रीगण केन्द्रीय संसाधनों तथा मंचो का उपयोग बाजाप्ता चुनकर आयी हुई राज्य सरकार की आलोचना करने और उनके विरूद्ध अभियान चलाने में करें और कुछ भी हो, संविधान में केन्द्र की भूमिका राज्य की सहयोगी के रूप में दी गई है न कि अड़ंगा डालने की।

जहाँ हम मध्यावधि मूल्यांकन के अनेक नीति–निर्धारणों का समर्थन करते हैं वहीं इस योजना को सचमुच संतुलित और समावेशी बनाने के लिए मेरे द्वारा की गयी टिप्पणियों को समुचित ढंग से समाविष्ट की जरूरत है। आर्थिक विकास का लाभ समाज के कमजोर तबके तक पहुँचाया जाना जरूरी है। जब तक संसाधन आवंटन और सकल वित्तीय ढ़ाँचा के निर्धारण पर पुनर्विचार नहीं हो जाता, तब तक समावेशी विकास की तलाश एक दिवास्वप्न ही रह जायेगा।

–जय हिन्द –